रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2006/ज्येष्ठ 18, 1928
No. 98] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2006/JYAISTHA 18, 1928

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2006

सं. एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** : (1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2006 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **विनियम 5क का अंतःस्थापन** : मूल विनियम के विनियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**5क. अनंतिम टैरिफ** : अनंतिम टैरिफ या प्रभारों की अनंतिम बिलिंग, जब कभी उत्पादन या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर आयोग द्वारा अनुज्ञात की जाती है या आयोग द्वारा अपने प्रस्ताव या अन्यथा द्वारा अनुज्ञात की जाती है तो वह आयोग द्वारा अनुमोदित अनंतिम टैरिफ के प्रति समायोजित की जाएगी :

परन्तु यह कि जहां इन विनियमों के अधीन प्रभारित अनंतिम टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक है वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार प्रभारित अधिक रकम पर, ऐसी अधिक रकम के संदाय की तारीख से और समायोजन की तारीख तक मासिक आधार पर संगणित प्रतिवर्ष 6 % की दर से ब्याज का संदाय करेंगे :

परन्तु यह और कि जहां प्रभारित अनंतिम टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से कम है वहां फायदाग्राही उस तारीख से कम रकम पर मासिक आधार पर संगणित प्रतिवर्ष 6 % की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेंगे जिस तारीख को अंतिम टैरिफ ऐसी कम रकम की बिलिंग की तारीख तक लागू होगा।

परन्तु यह भी कि अधिक/कम रकम आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर समायोजित की जाएगी जिसके असफल होने पर व्यतिक्रमी उपयोगिता उस दर पर शास्तिक ब्याज का संदाय करेगा जो आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाए ।"।

3. **विनियम 20 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 20 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

"20. **ऋण .ईक्विटी अनुपात** : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वार विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 18 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :--

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परंतु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक इक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी इक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70: 30 के अनुपात में ऋण ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर ईक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था :

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक ईक्विटी को काल्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।"।

4. विनियम 21 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 21 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) **ऋण पूंजी पर ब्याज** --

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तद्नुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मद्दे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।"।

5. **विनियम 26 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"26. **विलंब संदाय अधिभार** : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा किसी बिल (यू आई तथा वी ए आर प्रभारों से भिन्न) के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद बिलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर पर बिलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।"।

6. **विनियम 36 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 36 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"36. **ऋण ईक्विटी अनुपात** : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 34 के

अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :--

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परंतु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक इक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी इक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70: 30 के अनुपात में ऋण ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर ईक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था ।

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक ईक्विटी को काल्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।"।

7. विनियम 38 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 38 के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) **ऋण पूंजी पर ब्याज** --

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तद्नुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मद्दे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।"।

8. विनियम 39 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 39 के खंड (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) पम्प भंडारण उत्पादन केन्द्रों के सिवाय सभी हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों के लिए प्राथमिक ऊर्जा की दर पूर्व वर्ष के सभी मासों के लिए संबंधित क्षेत्र के

केन्द्रीय सेक्टर ताप ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के निम्नतर परिवर्तनीय प्रभारों की औसत के बराबर होगा । प्राथमिक ऊर्जा प्रभार प्राथमिक ऊर्जा दर और केन्द्र की बिक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा के आधार पर संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह कि उत्पादन केन्द्र के वार्षिक नियत प्रभार से अधिक उपरोक्त प्राथमिक ऊर्जा दर को लागू करके वसूलनीय प्राथमिक ऊर्जा प्रभारों की दशा में, ऐसे उत्पादन केन्द्र के लिए प्राथमिक ऊर्जा दर निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित की जाएगी :

$$\text{प्राथमिक ऊर्जा प्रभार} = \frac{\text{वार्षिक नियत प्रभार}}{\text{विक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा}}$$

(3) प्राथमिक ऊर्जा प्रभार = विक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा x प्राथमिक ऊर्जा दर ।

गौण ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी ।

गौण ऊर्जा प्रभार = बिक्री योग्य अनुसूचित गौण ऊर्जा x गौण ऊर्जा दर ।

9. विनियम 40 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 40 के खंड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4) वार्षिक आधार पर परिकलित कुल प्रोत्साहन संदाय बिक्रीयोग्य आबंटित क्षमता के आधार पर फायदाग्राहियों द्वारा विभाजित किया जाएगा ।"।

10. विनियम 44 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 44 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"44. **विलंब संदाय अधिभार** : यदि फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा किसी बिल (यू आई तथा वीएआर प्रभारों से भिन्न) के संदाय में बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद बिलंब किया जाता है तो उत्पादन कंपनी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर पर बिलंब संदाय अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा ।"।

11. विनियम 48 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 48 के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(iv) क्षमता प्रभार फायदाग्राही (फायदाग्राहियों) द्वारा, जिसमें उत्पादन कंपनी के क्षेत्र के बाहर के भी सम्मिलित है, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रत्येक मास और संबंधित उत्पादन केन्द्र में अपने-अपने अंशों के अनुपात में संदत्त किए जाएंगे :

ए सी सी$_1$ = ए एफ सी-(एस पी ई$_1$ + डी ई 2 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_2$= ए एफ सी - (एस पी ई$_2$ + डी ई 3 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_3$= ए एफ सी - (एस पी ई$_3$ + डी ई 4 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_4$ = ए एफ सी -(एस पी ई$_4$ + डी ई 5 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_5$ = ए एफ सी -(एस पी ई$_5$ + डी ई 6 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_6$ = ए एफ सी -(एस पी ई$_6$ + डी ई 7 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_7$ = ए एफ सी-(एस पी ई$_7$ + डी ई 8 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_8$ = ए एफ सी-(एस पी ई$_8$ + डी ई 9 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_9$ = ए एफ सी-(एस पी ई$_9$ + डी ई 10 से 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_{10}$= ए एफ सी-(एस पी ई$_{10}$ + डी ई 11 से 12 मास x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_{11}$ = ए एफ सी - (एस पी ई$_{11}$ + डी ई 12 मास) x प्राथमिक ऊर्जा दर

ए सी सी$_{12}$ = (ए एफ सी - (एस पी ई$_{12}$) x प्राथमिक ऊर्जा दर

जहां,

ए एफ सी = वार्षिक नियत प्रभार

ए सी सी$_1$, ए सी सी$_2$, ए सी सी$_3$, ए सी सी$_4$, ए सी सी$_5$, ए सी सी$_6$, ए सी सी$_7$, ए सी सी$_8$, ए सी सी$_9$, ए सी सी$_{10}$, ए सी सी$_{11}$ और ए सी सी$_{12}$ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, और बारहवें मास की समाप्ति तक की संचयी अवधि के लिए वार्षिक क्षमता प्रभार की रकम है ।

एस पी ई_1, एस पी ई_2, एस पी ई_3, ... एस पी ई_{12} क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे .... बारहवें मास तक एक्स-बस विक्रीयोग्य अनुसूचित प्राथमिक ऊर्जा मूल्य है ।

$$\text{सीसी 1} = \text{एसीसी}_1 \times \frac{\text{डीई}_1}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 2} = \text{एसीसी}_2 \times \frac{\text{डीई}_2}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 3} = \text{एसीसी}_3 \times \frac{\text{डीई}_3}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 4} = \text{एसीसी}_4 \times \frac{\text{डीई}_4}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 5} = \text{एसीरसी}_5 \times \frac{\text{डीई}_5}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 6} = \text{एसीसी}_6 \times \frac{\text{डीई}_6}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 7} = \text{एसीसी}_7 \times \frac{\text{डीई}_7}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 8} = \text{एसीसी}_8 \times \frac{\text{डीई}_8}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 9} = \text{एसीसी}_9 \times \frac{\text{डीई}_9}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 10} = \text{एसीसी}_{10} \times \frac{\text{डीई}_{10}}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 11} = \text{एसीसी}_{11} \times \frac{\text{डीई}_{11}}{\text{डीई}}$$

$$\text{सीसी 12} = \text{एसीसी}_{12} \times \frac{\text{डीई}_{12}}{\text{डीई}}$$

जहां

सीसी 1, सीसी 2, सीसी 3.................. सीसी 12 क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे .... बारहवें मास तक मासिक क्षमता प्रभार है ।

डी ई = वार्षिक बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा

डी ई 1, डी ई 2, डी ई 3................. डी ई 12 क्रमशः वर्ष के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे .... बारहवें मास तक एक्स-बस विक्रीयोग्य डिजाइन ऊर्जा मूल्य

निम्नलिखित के लिए जनरेटरों को संदेय कुल क्षमता प्रभार :

पहले मास = (सी सी 1)

दूसरे मास = (सी सी 2 - सी सी 1)

तीसरे मास = (सी सी 3 - सी सी 2)

चौथे मास = (सी सी 4 - सी सी 3)

पांचवें मास = (सी सी 5 - सी सी 4)

छठे मास = (सी सी 6 - सी सी 5)

सातवें मास = (सी सी 7 - सी सी 6)

आठवें मास = (सी सी 8 - सी सी 7)

नौवें मास = (सी सी 9 - सी सी 8)

दसवें मास = (सी सी 10 - सी सी 9)

ग्यारहवें मास = (सी सी 11- सी सी 10)

बारहवें मास = (सी सी 12- सी सी 11)

और ऐसे प्रत्येक फायदाग्राही, जिनके पास उत्पादन केन्द्र की क्षमता में फर्म आबंटन है, निम्नलिखित का संदाय करेंगे :

पहले मास = [एसीसी 1 x डब्ल्यूबी 1]/100

दूसरे मास = [एसीसी 2 x डब्ल्यूबी 2- x एसीसी 1 x डब्ल्यूबी 1]/100

तीसरे मास = [एसीसी 3 x डब्ल्यूबी 3- x एसीसी 2 x डब्ल्यूबी 2]/100

चौथे मास = [एसीसी 4 x डब्ल्यूबी 4- x एसीसी 3 x डब्ल्यूबी 3]/100

पांचवें मास = [एसीसी 5 x डब्ल्यूबी 5- x एसीसी 4 x डब्ल्यूबी 4]/100

छठे मास = [एसीसी 6 x डब्ल्यूबी 6- x एसीसी 5 x डब्ल्यूबी 5]/100

सातवें मास = [एसीसी 7 x डब्ल्यूबी 7- x एसीसी 6 x डब्ल्यूबी 6]/100

आठवें मास = [एसीसी 8 x डब्ल्यूबी 8- x एसीसी 7 x डब्ल्यूबी 7]/100

नौवें मास = [एसीसी 9 x डब्ल्यूबी 9- x एसीसी 8 x डब्ल्यूबी 8]/100

दसवें मास = [एसीसी 10 x डब्ल्यूबी 10- x एसीसी 9 x डब्ल्यूबी 9]/100

ग्यारवें मास = [एसीसी 11x डब्ल्यूबी 11-x एसीसी 10 x डब्ल्यूबी 10]/100

बारहवें मास = [एसीसी 12 x डब्ल्यूबी 12-xएसीसी 11 x डब्ल्यूबी 11]/100

जहां--

और डब्ल्यूबी 1, डब्ल्यूबी 2, डब्ल्यूबी 3, डब्ल्यूबी 4, डब्ल्यूबी 5, डब्ल्यूबी 6, डब्ल्यूबी 7, डब्ल्यूबी 8, डब्ल्यूबी 9, डब्ल्यूबी 10, डब्ल्यूबी 11 और डब्ल्यूबी 12 क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और बारहवें मास तक की संचित अवधि के दौरान फायदाग्राही की बिक्रीयोग्य आबंटित क्षमता शेयर की भारित औसत प्रतिशतता है ।

12. विनियम 54 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 54 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"54. **ऋण ईक्विटी अनुपात** : (1) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोग द्वारा विचार किए गए ऋण ईक्विटी अनुपात पर 4-1-2004 से टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि जहां 31-3-2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ को आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है वहां ऋण ईक्विटी अनुपात वह होगा जैसा आयोग द्वार विनिश्चय किया जाए :

परन्तु यह और कि विद्यमान उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां अतिरिक्त पूंजीकरण 1-4-2004 को या उसके पश्चात् पूरा किया गया है और विनियम 53 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है वहां अतिरिक्त पूंजीकरण में ईक्विटी पर निम्नलिखित रूप में विचार किया जाना होगा :--

(क) आयोग द्वारा स्वीकार अतिरिक्त पूंजी व्यय का 30% ; या

(ख) अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए वित्तीय पैकेज में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ईक्विटी ; या

(ग) नियोजित वास्तविक ईक्विटी,

जो भी कम हो :

परंतु यह और कि दूसरे परंतुक के अधीन स्वीकृत अतिरिक्त पूंजी व्यय की दशा में, आयोग 30% से अधिक इक्विटी पर तब विचार कर सकेगा यदि उत्पादन कंपनी आयोग का यह समाधान करने में सफल हो जाती है कि 30% अधिक ऐसी इक्विटी का लगाया जाना साधारण जनता के हित में था ।

(2) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में जिनके लिए 1-4-2004 से पूर्व विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया गया था और जिनके 1-4-2004 से 31-3-2009 की अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किए जाने की संभावना है, 70 : 30 के अनुपात में ऋण ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहां परियोजना के वित्तपोषण के लिए वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से कम है, वहां वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर टैरिफ के अवधारण के लिए विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि आयोग वहां समुचित मामलों में टैरिफ के अवधारण के लिए 30% से उच्चतर ईक्विटी पर विचार कर सकेगा जहां उत्पादन कंपनी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह सुस्थापित करने के लिए समर्थ हो जाती है कि 30% से उच्चतर ईक्विटी का नियोजन साधारण जनता के हित में था ।

(3) उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जिनके लिए 1-4-2004 को या उसके पश्चात् विनिधान अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, टैरिफ के प्रयोजन के लिए 70 : 30 के अनुपात में ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा :

परन्तु जहां वास्तविक रूप से नियोजित ईक्विटी 30% से अधिक है वहां 30% से अधिक ईक्विटी को काल्पनिक ऋण के रूप में माना जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां लगाई गई ईक्विटी 30% से कम है, वहां टैरिफ के अवधारण के लिए वास्तविक ऋण तथा ईक्विटी पर विचार किया जाएगा ।

(4) यथास्थिति, उपरोक्त खंड (1), (2) या (3) के अनुसार तय की गई ऋण ईक्विटी की रकम का उपयोग ऋण पर ब्याज, ईक्विटी पर रिटर्न, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर फेरफार की संगणना के लिए किया जाएगा ।"।

13. विनियम 56 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 56 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) **ऋण पूंजी पर ब्याज** --

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज विनियम 20 में उपदर्शित रीति से तय बकाया ऋण पर ऋणवार संगणित किया जाएगा ;

(ख) 1-4-2004 को बकाया ऋण को विनियम 20 के अनुसार कुल ऋण के रूप में माइनस 31-3-2004 तक आयोग द्वारा या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पास ऐसा करने की शक्ति है यथास्वीकृत संचयी प्रतिसंदाय के रूप में निकाला जाएगा । 2004-09 की अवधि के लिए प्रतिसंदाय मानकीय आधार पर निकाला जाएगा ;

(ग) उत्पादन कंपनी ऋण को पुनःवित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगी जिससे फायदाग्राहियों के कुल फायदे में अधिक से अधिक वृद्धि हो । ऐसे पुनःवित्तपोषण की सहबद्ध लागत फायदाग्राहियों द्वारा वहन की जाएगी ;

(घ) ऋण संबंधी निबंधनों तथा शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनःवित्तपोषण की तारीख से दर्शित किया जाएगा और उसका फायदा फायदाग्राहियों को दिया जाएगा ;

(ङ) किसी विवाद की दशा में, कोई भी पक्षकार समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकेगा । तथापि, फायदाग्राही ऐसे किसी संदाय को नहीं रोकेंगे जिसका आदेश ऋण में पुनःवित्तपोषण से संबंधित किसी विवाद के लंबित रहने के दौरान उत्पादन कंपनी को आयोग द्वारा दिया गया हो ;

(च) यदि उत्पादन कंपनियों द्वारा कोई विलंबनाधीन अवधि प्राप्त की जाती है तो विलंबनाधीन अवधि के वर्षों के दौरान टैरिफ में दिया गया अवक्षयण उन वर्षों के दौरान प्रतिसंदाय के रूप में समझा जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तद्नुसार संगणित किया जाएगा ;

(छ) उत्पादन कंपनी ऋण के वित्तपोषण तथा ऋण पर ब्याज के मद्दे कोई लाभ नहीं लेंगे ;

(ज) उत्पादन कंपनी अपने स्वविवेक से ऐसे ऋण को अपने स्वयं की लागत पर स्वैप कर सकेगी जिनमें ब्याज की नियत दर वाले ऋणों के साथ ब्याज की फ्लोटिंग दर है या उसके विपरीत है और स्वैपिंग के परिणामस्वरूप लाभ या हानियों को उत्पादन कंपनी से प्रोद्भूत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि फायदाग्राही आरंभिक रूप से संविदागत ऋण के लिए, चाहे वह ब्याज फ्लोटिंग या नियत दर पर हो, ब्याज का संदाय करने के दायी होंगे ।"।

14. विनियम 58 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 58 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"58. **अंतरा-प्रादेशिक आस्तियों के लिए प्रभारों का विभाजन :** प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के एक से अधिक दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की दशा में, प्रत्येक दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक पर उद्ग्रहणीय पारेषण प्रभार निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :

दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक द्वारा मास के लिए पारेषण प्रणाली को संदेय अन्तरा-प्रादेशिक प्रणाली के लिए पारेषण प्रभार

$$= \left[\sum_{i=1}^{\text{एन}} \left(\frac{\text{टीसी आई}}{12} \right) - \text{ए आर एस सी} \right] \frac{\text{x सी एस}}{\text{एससीएल}}$$

टीसीई = क्षेत्र में i परियोजना के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार

एन = क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या

ए आर एस सी = समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के लिए उपयुक्त प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक पारेषण ग्राहकों से मास के लिए पारेषण प्रभारों की वसूली का समायोजनीय भाग ।

सीएल = दीर्घकालिक पारेषण ग्राहक को आबंटित पारेषण क्षमता ।

एससीएल = प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों को आबंटित पारेषण क्षमताओं का योग ।

15. विनियम 59 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 59 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"59. **अन्तरा-प्रादेशिक आस्तियों के लिए प्रभारों का विभाजन** : अन्तरा-प्रादेशिक आस्तियों के पारेषण प्रभार आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से विनिश्चित के सिवाय, निम्नानुसार बांटे जाएंगे :--

(क) ऐसे ग्राहक, जिसका आबंटन अन्य क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से हो और/ या जिनके पास अन्य क्षेत्र में ऊर्जा के लिए दीर्घकालिक संविदा हो, द्वारा संदेय अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के लिए मासिक पारेषण प्रभार निम्नलिखित होंगे :--

टीएल : (टीएससी/12) x (सीसी/सीआईआर)

जहां,

टीएससी = अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार,

सीसी = आबंटित और/या संविदागत ऊर्जा को अंतरित करने के लिए अपेक्षित अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की मेगावाट में क्षमता,

सीआईआर = एम डब्ल्यू में अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की क्षमता ।

(ख) अन्तर-प्रादेशिक आस्ति की अतिशेष क्षमता में से, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र आरक्षित मार्जिन के रूप में कुछ क्षमता को रखने का विनिश्चय कर सकेगा । केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, दीर्घकालिक संविदाओं तथा आरक्षित मार्जिन से आबंटन के लिए लेखांकन करने के पश्चात् अन्तर-क्षेत्रीय लिंक की क्षमता अल्पकालिक खुली पहुंच के लिए उपलब्ध होगी । अल्पकालिक पारेषण ग्राहक समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा ।

(ग) अन्तर-क्षेत्रीय आस्तियों द्वारा संयोजित दो क्षेत्रों की क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय विश्वस्तता समर्थन के लिए पारेषण प्रभार निम्नलिखित रूप में होंगे :--

टीआर = 0.5 {(टीएससी/12) - Σटीएल - ए आर एस सी} x (सीएल/एससीएल)

जहां,

$टी_{आर}$ = अन्तर-प्रादेशिक आस्ति के जुड़ी क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति के लिए मास हेतु संदेय विश्वस्तता समर्थन प्रभार ।

टीएससी = अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार ।

Σ टीएल = केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र से आबंटित ऊर्जा के अन्तरण के लिए अन्तर-क्षेत्रीय आस्ति या दीर्घकालिक करार के परिणामस्वरूप उपलब्ध ऊर्जा के उपयोग के लिए मास के लिए संदेय कुल पारेषण प्रभार ।

एआरएससी = अल्पकालिक पारेषण ग्राहकों से मास के लिए वसूले गए राजस्व का समायोजनीय भाग जिसका उपयोग समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 के अनुसार दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती करने के लिए किया जाता है ।

सीएल = क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक ग्राहक को आबंटित पारेषण क्षमता जिसमें वह अवस्थित है, और

एससीएल = क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली के सभी दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों की आबंटित पारेषण क्षमताओं का योग जिसमें वह अवस्थित है ।"।

16. विनियम 62 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 62 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"62. **विलम्ब संदाय अधिभार** : यदि बिलिंग की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद फायदाग्राहियों द्वारा किसी बिल के संदाय में विलम्ब किया जाता है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिमास 1.25% की दर से विलम्ब संदाय अधिभार उद्‌गृहीत किया जाएगा ।" ।

ए. के. सचान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/150/2006/असा.]